



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AE 641192

वाराणसी छठ स्नातक निविदा  
प्रत्याशी संकलन कुमार की  
तरफ से प्राप्त 26 शपथ पत्र  
का भाग है।



पंकज कुमार

सराय विहारी शिंदे  
सराय बाप करने का बदलाव  
सराय लेता का नाम है दुष्ट बडा  
सराय जी अनुशासि  
कोलाडा तुमार बरन बाल  
इदाम विहारी  
दो. रो. ३५५/१२५  
परिवार इदाम विहारी

V1927  
V1991/22  
4264 ७८८  
81/८२  
D4462

"प्ररूप-26  
(नियम 4क देखिए)



19.11.2020  
R. J. 78  
NOTARY (LOUT OF INDIA)

वाराणसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ..... निर्वाचन क्षेत्र/से : 0

उ.प्र.विद्यान परिषद् (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटार्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग - क

मैं ..... पंकज कुमार ..... \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... मातादीन ..... आयु 32 वर्ष  
वर्ष, जो ..... ग्राम कोलाही, पोस्ट विजयपुर, ज़िला: मेरठपुर (उ.प्र.) ..... (डाक का पूरा पता लिखें) का / की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ :-  
(1) मैं ..... लागू नहीं होता ..... ("राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / "एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा/ रही हूँ।  
("जो लागू न हो उसे काट दें")  
(2) मेरा नाम 3.25. दूसरे विद्यालय सम्पर्क, उत्तरप्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 4.28 के क्रम सं. 3.9.2 ..... पर प्रविष्ट है।  
(3) मेरा / मेरे 955905474 प्रसंपर्क दूरभाष संख्या/ संख्याएं है/ हैं और pankajmishra7142@gmail.com ..... मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/ मेरे सोशल मीडिया खाता/ खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/ हैं।  
(i) WhatsApp - 9559054740  
(ii) ..... नहीं .....  
(iii) ..... नहीं .....  
(4) स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथ्ति :

क्र० सं	नाम	पीएन (स्थाई खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिये आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	FURPK 4534 B	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता (ii) लागू नहीं होता (iii) लागू नहीं होता (iv) लागू नहीं होता (v) लागू नहीं होता
2	पति या पत्नी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता (ii) लागू नहीं होता (iii) लागू नहीं होता (iv) लागू नहीं होता (v) लागू नहीं होता
3	हिन्दू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता (ii) लागू नहीं होता (iii) लागू नहीं होता (iv) लागू नहीं होता (v) लागू नहीं होता

पंकज कुमार

4	आश्रित -1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता (ii) लागू नहीं होता (iii) लागू नहीं होता (iv) लागू नहीं होता (v) लागू नहीं होता
5	आश्रित -2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता (ii) लागू नहीं होता (iii) लागू नहीं होता (iv) लागू नहीं होता (v) लागू नहीं होता
6	आश्रित -3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता (ii) लागू नहीं होता (iii) लागू नहीं होता (iv) लागू नहीं होता (v) लागू नहीं होता

टिप्पणी: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिये स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है।"

#### (5) लंबित आपराधिक मामले

- (i) ✓ मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं होता है' लिखें)
- (ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं: लागू नहीं होता (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित है तो इस विकल्प चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारिणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें)

#### सारणी

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इल्टिला रिपोर्ट सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग)	अंतर्वलित सम्बद्ध अधिनियमों / संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड सहिता, आदि की धारा .....	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ)	अपराध का सक्षिप्त विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ)	वया आरोप विरचित किए गए हैं (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हाँ है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(छ)	क्या कायवाहियों के विरुद्ध कोई अपील / पुनरीक्षण के लिए आवेदन फार्मल किया गया है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

#### (6) दोषसिद्धि के मामले

पंकज कुमार

- (i) मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।  
 (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है, लिखें)

- (ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए सिद्धदोष किया गया है। **लागू नहीं होता**  
 (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प  
 (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड सहित, आदि की धारा .....)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ङ)	दोषसिद्ध के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(च)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ)	क्या दोषसिद्ध के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है ( हां या नहीं का उल्लेख करें )	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्राप्तियां दें।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

- (6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिए गए विवरण के अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्ध के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है। **लागू नहीं होता**

(ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5 (i) और पैरा 6 (i) में की प्रविष्टियों को देखते हुये, स्पष्ट रूप से "लागू नहीं होता है", लिखना चाहिए)

टिप्पणी:

1. समस्त विवरण स्पष्ट व सुप्रतित बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।  
 2. (प्रत्येक मामले (Case) हेतु प्रत्येक मद के सापेक्ष दिये विभिन्न कॉलम में अलग-अलग विवरण दिया जाना है।  
 3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के संबंध में विवरण कमानुसार दिया जाए।  
 4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।  
 5. अस्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।"

- (7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

पंकज कुमार

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2—जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3—सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंध पत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4—“आश्रित” से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक् साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5—रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

टिप्पण 6—ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्बिलित होना चाहिए।

**स्पष्टीकरण:** इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए “अपतट आस्तियों” पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं:

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	₹ 5000/-	लागू दी	लागू दी	लागू दी	लागू दी	लागू दी
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे, (नियत जमा, आवधिक जमा, और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	वचत जमा 20000/- 2200203731 इलाहाबाद बैंक 99000/-	लागू दी	लागू दी	लागू दी	लागू दी	लागू दी
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू दी	लागू दी	लागू दी	लागू दी	लागू दी	लागू दी
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागू दी	लागू दी	लागू दी	लागू दी	लागू दी	लागू दी
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	भागू दी	भागू दी	भागू दी	भागू दी	भागू दी	भागू दी
(vi)	मोटरयान वाहन/ वायुयान/ याच/ पोत (मैक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	भागू दी	भागू दी	भागू दी	भागू दी	भागू दी	भागू दी

NOT

12/11/1920

OFFICE NO:

पंकज कुमार

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यांग)	उपग्रहमी संस्कृति विभाग	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
(ix)	सकल कुल मूल्य	224,000/-	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी

### **ख. स्थावर आस्तियों के बौरे:-**

**टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।**

टिप्पणी 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पणी ३— ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मलित होना चाहिए।



ପାଇଁ କିମ୍ବା

(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ)	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं होता
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित)— अवस्थिति (अवस्थितियाँ)— सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ)	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)						
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं



पंकज कुमार

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित —अवस्थिति (अवस्थितियाँ) —सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ)	लागू नहीं						
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं						
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं						
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हा या नहीं)	लागू नहीं						
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं						
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं						
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं						
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं						
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	लागू नहीं						
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं						

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यापिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविवक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं ) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	स्वच्छीय फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ₹ २४००००/-  बकाया ₹ २५००००/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

पंकज कुमार

	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं	
	कोई अन्य दायित्व	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं	
	दायित्वों का कुल योग	250000	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं	
(ii)	सरकारी शोध्यः सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य	k. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं? खः यदि उपरोक्त (k) का उत्तर हाँ है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात्:- (i) सरकारी आवास का पता:- .....लागू नहीं.....  (ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मद्दे कोई शोध्य सदैय नहीं है:- (क) भाटक, लागू नहीं (ख) विद्युत प्रभार, (ग) जल प्रभार, और  (घ) लागू नहीं (तारीख) को टेलीफोन प्रभार (तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए) टिप्पण— उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का “बेबाकी प्रमाण पत्र” प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	हाँ/ नहीं/ (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही निशान लगाए)	लागू नहीं	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं	लागू हैं	



पंकज कुमार

		स्वयं	पति / पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iv)	आयकर शोध्य	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही
(v)	जीएसटी शोध्य	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही
(vi)	नगरपालिका / सम्पत्ति कर शोध्य	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही
(vii)	कोई अन्य शोध्य	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वालित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।"	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही	लागून्ही

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ..... बेरोजगार

(ख) पति या पत्नी ..... लागून्ही

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे-

(क) स्वयं ..... कोई नहीं

(ख) पति या पत्नी ..... लागून्ही

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हो ..... लागून्ही

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएँ-

(क) अम्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ..... लागून्ही

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ..... लागून्ही

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ..... लागून्ही

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अम्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितवद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ..... लागून्ही

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अम्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं ..... लागून्ही

(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अम्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है ..... लागून्ही

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीच दिए अनुसार है:-  
परास्तात्का (रम. काम) काशी विद्यापीठ

२०११

(प्रमाणपत्र/डिलोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रलप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय /  
विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें  
पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)



पंकज कुमार

भाग - ख

(11) भाग - क के (1) से (10) तक में दिए गए व्यौरों का सारांश

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कु. पंकज कुमार					
2	डाक का पूरा पता	ग्रा. कोलाही, पो. किंजपुर, ज़िला मिर्जापुर (उ.प्र.)					
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	395, फ़िरवे विधानसभा, उत्तर प्रदेश					
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	निर्दलीय					
5	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	लागू नहीं					
6	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।	लागू नहीं					
7		स्थायी लेखा संख्या (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	FURPK 45 34 B	लागू नहीं	लागू नहीं			
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
	(घ) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
8	आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपयों में व्यौरे						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख.	स्थावर आस्तियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	i. स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ii. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	iii. अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत-						
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	दायित्व						
i	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(कुल)						

पंकज कुमार

10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं।					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू की	लागू नहीं	लागू की	लागू नहीं	लागू नहीं
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता: परास्नातक (एम.एम.) कार्डीनिलापी (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

### सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का नामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 9, 10 और 11 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 12/11/2020 को सत्यापित किया गया।

पंकज कुमार  
अभिसाक्षी

टिप्पण: 1. शपथ पत्र, नामांकन फाईल करने के अंतिम दिन को अपरान्ह 3:00 बजे तक फाईल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिये कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथ पत्र टंकित या सुपार्य रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।

(विधि मंत्रालय के अधिसूचना सं १८-११०१९/०४/२०१८-विधि-॥ दिनांक 10.10.2018 और सं १८-११०१९/१३/२०१६-विधायी २ दिनांक 26.02.2019)



D.K. Mishra  
 Adm.  
 12/11/20  
 K. SINGH

पंकज कुमार